

**थाना- बरदह**

**थाने का टाप 10 अभियुक्त डी-72 गैंग का सदस्य 01 अदद 303 बोर का तमन्चा व 01 कारतूस के साथ गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 20/04/2021 संजय सिंह मय हमराह हे०का० योगेन्द्र यादव , का० अभय सिंह , का० अनुपम सिंह के मुकदमा अ०सं० 84/21 धारा 147/148/149/323/504/506/352/307 भा.द.वि की विवेचना एवं तलाश मुल्जिमान में चौकी ठेकमा से रवाना होकर अभियुक्तगण को तलाश करते हुए ग्राम मोहम्मदपुर फेटी जा रहा थे कि रास्ते में ग्राम मोहम्मदपुर फेटी के पास मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि जिन अभियुक्तों की आप तलाश कर रहे हैं उनमें से एक मुल्जिम शाहजमां उर्फ नैयर भी अपने घर पर है और कहीं भागने के चक्कर में है , सूचना पर विश्वास कर 20/04/2021 मय फोर्स के अभियुक्त शाहजमां उर्फ नैयर के घर आये तो एक व्यक्ति गेट पर खड़ा था जो पुलिस टीम को देखकर अन्दर घर की तरफ भागा जिसे तुरन्त हमराह फोर्स की मदद से एक बड़े मकान के परिसर में ही इस व्यक्ति को समय करीब 11.30 बजे पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम **शाहजमां उर्फ नैयर पुत्र रूस्तम अली निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़** बताया। गिरफ्तारशुदा उपरोक्त व्यक्ति थाना हाजा के मु०अ०सं० 84/21 धारा 147/148/149/323/504/506/352/307 भा.द.वि में नामजद वांछित अभियुक्त है जिसे कारण बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। तलाशी के दौरान 01 अदद तमन्चा व कार० 303 बोर का बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

शाहजमां उर्फ नैयर पुत्र रूस्तम अली निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़

**बरामदगी-**

01 अदद 303 बोर का तमन्चा व 01 कार०

**पंजीकृत अभियोग-**

मु०अ०सं० 84/21 धारा 147/148/149/323/504/506/352/307 भा.द.वि

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु०अ०सं०-150/90 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आमजगढ़
2. मु०अ०सं०-48/91 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आमजगढ़
3. मु०अ०सं०-163/92 धारा 307 भादवि थाना गम्भीरपुर थाना बरदह जनपद आमजगढ़
4. मु०अ०सं०-131/94 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आमजगढ़
5. मु०अ०सं०-50/97 धारा ¾ गुण्डा एक्ट थाना बरदह जनपद आमजगढ़
6. मु०अ०सं०-19/07 धारा 302 भादवि थाना बरदह जनपद आमजगढ़
7. मु०अ०सं०-163/07 धारा 110 जी थाना बरदह जनपद आमजगढ़
8. मु०अ०सं०-467/07 धारा 27/29/30 ए एक्ट थाना बरदह जनपद आमजगढ़
9. मु०अ०सं०-465/08 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बरदह जनपद आमजगढ़
10. मु०अ०सं०-75/13 धारा 325/323/504/506 भादवि थाना बरदह जनपद आमजगढ़
11. मु०अ०सं०-19/14 धारा 302 भादवि व 3(2) एससी एसटी एक्ट थाना बरदह जनपद आमजगढ़
12. मु०अ०सं०-29/17 धारा 3(1) up गुण्डा अधि० थाना बरदह आजमगढ़ थाना बरदह जनपद आमजगढ़
13. दिनांक-13/04/2020 धारा 110 जी दिनांक -थाना बरदह आजमगढ़ थाना बरदह जनपद आमजगढ़
14. मु०अ०सं०-198/20 धारा 147/307/504/506/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सरायमीर जनपद आमजगढ़
15. मु०अ०सं०-433/2015 धारा 147/148/149/352/504/307 भादवि न 7 सीएलए एक्ट थाना बरदह जनपद आमजगढ़
16. मु०अ०सं०-235/20 धारा 3(1) यू.पी.गैंग० एक्ट थाना बरदह जनपद आमजगढ़
17. मु०अ०सं०-144/2020 धारा 174 ए भादवी थाना सरायमीर जनपद आमजगढ़
18. मु०अ०सं०-285/2008 धारा 323/504/506 भादवी थाना बरदह जनपद आमजगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ०नि० संजय सिंह मय हमराह हे०का० योगेन्द्र यादव, का० अभय सिंह , का० अनुपम सिं

**थाना- मेहनगर**

**त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बाधा उत्पन्न करने पर 09 नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19.04.2021 को उ०नि० सुभाष तिवारी मय हमराह का० धीरज गुप्ता , का० राजेश यादव, व म०का० दिव्यांशी के कलस्टर मोबाईल में भ्रमण के दौरान समय करीब 08.20 बजे प्रातः मतदान केन्द्र भदसारी के पास में संजय राय द्वारा वोटरो को रोककर भडकाने व विपक्षी प्रत्याशी के समर्थित मतदाताओ को धमकी देने तथा पुलिस फोर्स के द्वारा संजय को मतदान केन्द्र से 100 मी० की दूरी पर रहने की बात बताने को लेकर संजय राय पुत्र रामानन्द राय , तारकेश्वर राय पुत्र श्री पारसनाथ , स्नेह

कुमार राय पुत्र स्व० उमाशंकर राय , राजीव कुमार राय पुत्र स्व० रामानन्द राय , धर्मेन्द्र राय कुमार पुत्र फूलचन्द राम , घनश्याम पुत्र गोवर्धन , अवधेश कुमार पुत्र शान्ता प्रसाद , मन्तोष कुमार राम पुत्र रामचन्द्र राम , सुजीत कुमार राम पुत्र लक्ष्मी राम , सतीश सरोज पुत्र जगन्नाथ सरोज , इन्द्रजीत पुत्र लक्ष्मीराम मनोज सरोज पुत्र स्व० शिवमूरत सरोज , सूर्यभान राम पुत्र मुन्नीराम , मिथुन पुत्र सुबास श्रीनाथ पुत्र दरबारी , दिनेश पुत्र रामानन्द राय विनय राय पुत्र स्व० रमाशंकर राय , अरूण राय पुत्र रामानन्द राय व अन्य 50-60 लोग नाम पता अज्ञात द्वारा अपने आदमी भेजकर बुलाकर एक राय होकर बन्द करो मतदान की नारेबाजी करते हुए तथा मारो सब को तथा पुलिस को गाली देते हुए एवं कर्तव्य से विरत रहने के लिए भयोपरत करने के उद्देश्य से हिंसक होकर मतदान केन्द्र में घुसने के लिए गेट पर आ गये , पुलिस टीम जब स्कूल का गेट बन्द कर लिए तथा उच्चाधिकारी व कंट्रोल को फोन करने लगे तो संजय राय व उनके उपरोक्त साधियो द्वारा पुलिस टीम पर पत्थर बाजी करने लगे जिसे वोट हेतु आने जाने वाले वोटरो मे भगदड मच गयी अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया , उनके पत्थर बाजी से कुछ पुलिसकर्मी को चोटे भी आयी है उक्त लोग मतदान केन्द्र में अव्यवस्था उत्पन्न करने का पूरा प्रयास किया गया। उच्चाधिकारीगण को सूचना देते हुए व विडियो बनाते हुए सभी लोग हट बढ गये। संजय राय उपरोक्त व्यक्तियों का यह कृत्य धारा 147/149/332/353/336/337/171 F IPC व 127/130(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व 7 CLA ACT का दण्डनीय अपराध पाकर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 65/2021 धारा 147/149/332/353/336/337/171 F IPC व 127/130(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व 7 CLA ACT अभियुक्तगण उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस आधिकारिक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल प्रवेक्षण में प्र०नि० सुनील चन्द तिवारी के देखरेख में उ०नि० मो० आसिफ मय हमराह के थाना हाजा से खाना होकर घटना स्थल पर जाँच के दौरान मु०अ०सं० 65/2021 धारा 147/149/332/353/336/337/171 F IPC व 127/130(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व 7 CLA ACT से सम्बन्धित 09 नफर अभियुक्तगण 1. तारकेश्वर राय पुत्र पारसनाथ राय 2. स्नेह कुमार राय पुत्र स्व० उमाशंकर राय 3. राजीव कुमार राय पुत्र स्व० रामानन्द राय 4. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र फूलचन्द राम 5. घनश्याम पुत्र गोवर्धन 6. अवधेश कुमार भारती पुत्र शान्ता प्रसाद 7. मन्तोष कुमार राम पुत्र रामचन्द्र राम 8. सुजीत कुमार राम पुत्र लक्ष्मी राम 9 सतीष पुत्र जगन्नाथ सरोज समस्त निवासीगण ग्राम भदसारी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 20.04.2021 समय 11.30 बजे कम्पोजिट विद्यालय बहद ग्राम भदसारी से हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 65/2021 धारा 147/149/332/353/336/337/171 F IPC व 127/130(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व 7 CLA ACT थाना मेंहनगर, आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. तारकेश्वर राय पुत्र पारसनाथ राय
2. स्नेह कुमार राय पुत्र स्व० उमाशंकर राय
3. राजीव कुमार राय पुत्र स्व० रामानन्द राय
4. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र फूलचन्द राम
5. घनश्याम पुत्र गोवर्धन
6. अवधेश कुमार

भारती पुत्र शान्ता प्रसाद 7. मन्तोष कुमार राम पुत्र रामचन्द्र राम 8. सुजीत कुमार राम पुत्र लक्ष्मी राम  
9 सतीष पुत्र जगन्नाथ सरोज समस्त निवासीगण ग्राम भदसारी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ0नि0 मो0 आसिफ मय हमराह कर्मगण का 0 शैलेश कुमार सिंह , रि0का0 अजीत कुमार , हे0का0 रामअवध यादव, का0 विश्वनाथ निषाद, का0 राहुल यादव, म0का0 रिचा देवी, म0का0 शालिनी चौबे

**थाना- मेहनगर**

**02 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद मो0सा0 के साथ 02 नफर**

**अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस आधिकारिक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल प्रवेक्षण में प्र0नि0 सुनील चन्द तिवारी के देखरेख में आज दिनांक 20.04.2021 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह फोर्स के क्षेत्र में कटात चक कटात पुलिया नहर के पास पहुँचे जैसे ही पुलिस टीम ने मोटरसाईकिल खड़ी किये तभी पुलिया पर दाहिने तरफ बैठे दो व्यक्ति नहर पार की तरफ जाने लगे संदेह होने पर टोका गया व रुकने को कहा गया तो दोनों लौदह ईमादपुर वाले रोड पर भागने लगे कि शक होने पर पुलिस टीम द्वारा अवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिये गये। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर पहले ने अपना नाम सुजीत कुमार पुत्र मुन्नी लाल निवासी कटात चक कटात थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ व दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम दीपक कुमार पुत्र स्व0 कमलेश कुमार सा0 उपरोक्त बताया। दोनों की जामा तलाशी से 01-01 अदद तमंचा 315 बोर व 01-01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद मो0सा0 UP54AD6522 बरामद हुआ। अभियुक्तगण को समय करीब 8.00 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1. सुजीत कुमार पुत्र मुन्नीलाल
2. दीपक कुमार पुत्र स्व0 कमलेश कुमार सा0 कटात चक कटात थाना मेहनगर आजमगढ़

**बरामदगी-**

02 अदद तमंचा, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद मो0सा0 UP54 AD6522

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 66/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमहार फोर्स

**थाना- जीयनपुर**

**एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

उ०नि० अखिलेश चन्द पाण्डेय मय हमराह के देख भाल क्षेत्र तलाश वांछित चेकिंग संदिग्ध वस्तु व्यक्ति मे मामूर होकर बागखालिस मे मौजूद थे कि ईगल मोबाइल कर्म०गण का० रणवीर यादव ,का० अवनीश सिंह बागखालिस चौराहे पर उपस्थित आये। सभी लोग आपस मे अपराध तथा अपराधियों के सम्बन्ध मे बातचीत कर रहे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति खतीबपुर गाँव की तरफ से पैदल नाजायज तमंचा लेकर बागखालिस बाजार आ रहा है। मुखविर की इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मय मुखविर के उ०नि० सरकारी वाहन को आड मे खड़ा करके अपने आप को छिपते छिपाते हुये ग्राम खतीबपुर मोड से आगे बाग की तरफ आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे की थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति खतीबपुर गाँव की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया मुखविर खास ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करके कहा की यही वह व्यक्ति है जिसके पास नाजायज असलहा है और हट बढ़ गया कि पुलिस टीम आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे जैसे ही वह व्यक्ति स्कूल के सामने सड़क पर पहुँचा कि पुलिस टीम एक बारगी घेरघार कर उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम शिवकुमार यादव पुत्र देवपति यादव निवासी खतीबपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति से तमंचा रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा अपनी गलती की बार बार माफी माँग रहा है। पकड़े गये अभियुक्त का उसके द्वारा किये गये दण्डनीय अपराध धारा 3/25 A Act के लिए कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 11.30 बजे वजाफता हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवकुमार यादव पुत्र रामपति यादव सा० खतीबपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष

#### बरामदगी-

एक अदद देशी तमंचा .315 वोर व 1 अदद जिंदा कारतूस

#### पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०स०- 125/21 धारा- 3/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

#### आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स०-312/20 धारा- 353/386/120बी/507 भादवी
2. मु०अ०स०- 438/20 धारा- 3(1) यू.पी गैंगस्टर थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. मु०अ०स०- 125/21 धारा- 3/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अखिलेशचन्द्र पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का० अवनीश सिंह थाना जीयनपुर जनपद- आजमगढ़
3. का० रणबीर यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. रि०का० दीपक गिरी थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
5. रि०का० दीकप कुमार थाना जीयनपुर जनपद- आजमगढ़

#### थाना-मेहनाजपुर

#### 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज व प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना मेहनाजपुर के कुशल निर्देशन में मु.अ.स. 33/2021 धारा 504,506 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त अरुण कुमार सिंह उर्फ बबलू पुत्र रामलगन सिंह ग्राम चिलबिला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को दिनांक 19.04.2021 को समय 19.50 बजे बाद समाप्त मतदान ड्यूटी दौरान भ्रमण क्षेत्र अभियुक्त उपरोक्त को उसके घर से उ०नि० अतीक अहमद मय हमराहीयान के साथ गिरफ्तार किया गया।

#### पंजीकृत अभियोग –

मु.अ.स. 33/2021 धारा 504,506 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

**अपराधिक इतिहास :**

- 1-मु0अ0सं0 03/05 धारा 324,323,504 भा0द0वि0 मेहनाजपुर , 2- मु0अ0सं0 363/03 धारा 364,506 भा0द0वि0 मेहनाजपुर,
- 3- मु0अ0सं0 33/04 धारा ¾ गुंडा अधिनियम मेहनाजपुर,
- 4- मु0अ0सं0 240/06 धारा 303,323,506 भा0द0वि0 मेहनाजपुर,
- 5-मु0अ0सं0 25/15 धारा 364 A , 201 भा0द0वि0 थाना धानापुर जनपद चंदौली,
- 6-मु0अ0सं0 69/17 धारा 8/20 NDPS ACT व धारा 34 भा0द0वि0 थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर
- 7-मु.अ.स.33/2021 धारा 504,506 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त :**

अरुण कुमार सिंह उर्फ बबलू पुत्र रामलगन सिंह ग्राम चिलबिला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली टीम:**

1. SI अतीक अहमद
- 2- SI सुधीर पाण्डेय
- 3- हे0का0 जितेन्द्र कुमार यादव
- 4- हे0का0 सुबेदार यादव
- 5- का0 मुसाहिद रजा
- 6- का0 निरज कुमार
- 7- म0का0 सुप्रिया दिक्षित
- 8- म0का0 प्रतिभा यादव

**थाना देवगांव**

**त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान मतपेटिका में पानी डालने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19.04.2021 को अराजक तत्वों द्वारा ग्राम सभा सोफीपुर सरुपहा के बूथ सख्या 255, 256, में फर्जी मतदान का आरोप लगा कर अराजकता फैलाने मतदान केन्द्र के अन्दर घुसने का प्रयास करने लगे बूथ पर लगे कर्म0गण द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया लेकिन गेट को धक्का देकर जबरदस्ती खोल कर पुलिसकर्मियों को मारने पीटने और मतदान केन्द्र के अन्दर घुस कर मतपेटिका में पानी डाल दिये व मतपत्र का शेष भाग जो मतदान के बाद ब्लाक पर पीठासीन अधिकारी द्वारा जमा किया जाता है को लूट कर लेकर चले गये। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पीठासीन अधिकारी श्री नासिर अहमद पुत्र अब्दुल हक नि0 बडहरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 72/2021 धारा 147/323/332/353/427/395/171 F भादवि व 7 सीएलए एक्ट बनाम संजय यादव आदि 09 नफर नामजद व 20 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत कराया गया है। जिसकी विवेचना उ0नि0 विजयप्रकाश मौर्य द्वारा की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा चलाये जा रहे वाछिंत अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में उ0नि0 विजयप्रकाश मौर्य मय हमराही फोर्स के मुकदमे में वाछिंत/नामजद अभियुक्त (1) रुपेश यादव पुत्र सुभाष यादव (2) जयबहादुर यादव पुत्र स्व0 धर्मराज (3) रतन लाल सरोज पुत्र बरखू राम नि0गण सरुपहा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को समय 12.45 बजे गिरफ्तार किया गया है।

**अभियोग पंजीकृत-**

मु0अ0सं0 72/2021 धारा 147/323/332/353/427/171 F भादवि व 7 सीएलए एक्ट

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण**

- (1) रुपेश यादव पुत्र सुभाष यादव
- (2) जयबहादुर यादव पुत्र स्व0 धर्मराज,
- (3) रतन लाल सरोज पुत्र बरखू राम नि0गण सरुपहा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

- (1) उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य थाना देवगाँव आजमगढ़
- (2) हे0का0 निहाल सिंह पटेल थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (3) का0 दिनेश कुमार थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (4) म0आ0 मालती थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

\*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।\*

105 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की